

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पी.एम.टी. 2010 (एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम आवंटन हेतु)
स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रथम काउंसिलिंग की सूचना

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. 2010 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार उम्मीदवारों को प्रदेश के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में एमबीबीएस/बीडीएस की उपलब्ध सीटों पर आवंटन हेतु दिनांक **19.07.2010** से दिनांक **24.07.2010** तक प्रातः **10.00** बजे से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में काउंसिलिंग का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है :-

काउंसिलिंग कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से

दिनांक	कार्यक्रम	उम्मीदवारों की श्रेणी/संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें काउंसिलिंग में उपस्थित होना है ।
19.07.2010	स्कूटनी	अ0ज0जा0 एम.पी. (सैनिक) अ0ज0जा0 एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अ0ज0जा0 पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 140 तक
20.07.2010	आवंटन	अ0ज0जा0एम0पी0 (सैनिक) अ0ज0जा0एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अ0ज0जा0पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 140 तक
20.07.2010	स्कूटनी	अनु0जाति एम0पी0 (सैनिक) अनु0 जाति एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अनु0जाति पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 140 तक

21.07.2010	आवंटन	अनु०जाति एम०पी० (सैनिक) अनु०जाति एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अनु०जाति पी०एच० (विकलांग) अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 140 तक
21.07.2010	स्कूटनी	अ.पि.व. एम०पी० (सैनिक) अ.पि.व.एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अ.पि.व. पी०एच० (विकलांग) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 30 तक पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 30 तक पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 30 तक पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 150 तक
22.07.2010	आवंटन	अ.पि.व.एम०पी० (सैनिक) अ.पि.व. एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अ.पि.व. पी०एच० (विकलांग) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 30 तक पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 30 तक पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 30 तक पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 150 तक पात्र उम्मीदवार
22.07.2010	स्कूटनी	अनारक्षित, एम०पी० (सैनिक) अनारक्षित, एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अनारक्षित पी०एच० (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 50 तक पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 150 तक
23.07.2010	आवंटन	अनारक्षित एम०पी० (सैनिक) अनारक्षित एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अनारक्षित पी०एच० (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 50 तक पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 150 तक
23.07.2010	स्कूटनी	अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 151 से 350 तक
24.07.2010	आवंटन	अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 151 से 350 तक

उक्त आयोजित की जा रही काउंसिलिंग के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कॉल लेटर जारी नहीं किये जा रहे हैं ।

आवेदक को काउंसिलिंग स्थल पर चार पासपोर्ट साईज फोटो जो कि विगत तीन माह से पुराने न हो लाना आवश्यक होगा ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा 2010 के बिन्दु क्र. 9.5 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट के बगैर काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग में उपस्थित होने पर जिनका आवंटन स्वशासी दंत एवं चिकित्सा महाविद्यालय में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार, जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय रूपये 3.00 लाख से अधिक है, वे रूपये 2,000/- (रूपये दो हजार केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो नियम 7.1 एवं 7.1.2 के अनुसार "संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल" के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा । तदनुपरांत ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा ।

स्कूटनी – उपलब्ध सीटों के अनुपात के आधार पर उम्मीदवारों की स्कूटनी की जावेगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।

पात्र उम्मीदवार काउंसिलिंग में उपस्थित होने के पूर्व पीएमटी नियम 2010 का भली भांति अध्ययन कर लें, यदि किसी कारण से उम्मीदवार अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि कोई पाठ्यक्रम अथवा महाविद्यालय का चयन नहीं करते हैं तो उनका अधिकार समाप्त हो जायेगा, हालांकि वे अपना नाम, लिखित प्रार्थना कर प्रतीक्षा सूची में रख सकते हैं । इस प्रकार "आप्ट फॉर वेंटिंग" रखने वाले उम्मीदवार/अधिकृत प्रतिनिधि को आगामी काउंसिलिंग के समय बुलाया जायेगा ।

1- यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्प्या की जावेगी ।

2- एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

नोट:- (1) भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देश अनुसार दृष्टि एवं बधिर अथवा भुजाएं (Upper Limb)के विकलांग उम्मीदवार एमबीबीएस/बीडीएस के लिये अपात्र होंगे ।

(2) काउंसिलिंग के उक्त प्रोग्राम की जानकारी संचालनालय की वेबसाईट www.mp.gov.in/medicaleducation पर भी उपलब्ध है

|

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश